कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 1701 /2–6 दिनांक, गोरखपुर, अक्टूबर, 05 /2019

सेवा में,

कार्य अधीक्षक,
अ0वि0नि0ई0 (रा0मा0)
लो0नि0वि0, गोरखपुर।

डायरी संख्या 2313
फाइल संख्या 16
दिनांक 11/10/19

विषय : गोरखपुर वन प्रभाग के सोनौली–गोरखपुर मार्ग (रा0मा0 सं0–29ई0) के किमी0 81.420 (जंगल कौड़िया) से किमी0 98.945 (मोहद्दीपुर चौराहा) तक भाग को 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के अन्तर्गत किमी0 85.500 (मानीराम रेलवे क्रासिंग) पर प्रस्तावित आर0ओ0बी0 के निर्माण में प्रभावित 0.19384 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के प्रस्ताव के सम्बन्ध में ।

संदर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ का पत्र सं0 8बी/यू0पी0/06/25/2019/एफ.सी./289 दिनांक 04.09.2019

महोदय,

संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि गोरखपुर वन प्रभाग के सोनौली–गोरखपुर मार्ग (रा0मा0 सं0–29ई0) के किमी0 81.420 (जंगल कौड़िया) से किमी0 98.945 (मोहद्दीपुर चौराहा) तक भाग को 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के अन्तर्गत किमी0 85.500 (मानीराम रेलवे क्रासिंग) पर प्रस्तावित आर0ओ0बी0 के निर्माण में प्रभावित 0.19384 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ का पत्र सं0 8बी/यू0पी0/06/25/2019/एफ.सी./289 दिनांक 04.09.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है। कृपया सभी शर्तों का पालन करते हुए निम्न विवरण के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट तीन प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे विधिवत स्वीकृत प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके :–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित 0.19384 हे0 संरक्षित वन भूमि के दूने अर्थात 0.38768 हे0 भूमि पर 388 पौधों वृक्षों का रोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रु0 13,07,268.00 आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
3. क–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम् न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (0.19384X803000.00 = 1,55,654.00) (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
   ख–इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन ई–रसीद की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण,एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
   ग–प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

श्री बिजेश बाबू
H.R. तत्काल प्रोजेक्ट करें।
21/10/19

D:\Letter 2018-19.doc

श्री कमलेश किशन
14/10/19

Scanned by CamScanner

4. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।
5. भू–क्षरण एवं जल–जमाव को रोकने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना व्यय पर समुचित कार्यवाही की जायेगी।
6. पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र यदि आवश्यक हो तो प्राप्त की जायेगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक मक डिस्पोजल परियोजना व्यय पर किया जायेगा।
8. प्रस्तावित स्थल में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
9. आवागमन एवं परियोजना के लिए सामाग्री ले जाने के लिए प्रस्तावित स्थल में अतिरिक्त नये मार्ग का निर्माण नहीं किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
11. सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालना प्रस्तुत करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में सूचना/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे।
12. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया है कि उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं वचनबद्धता प्रमाण–पत्र जो लागू हो प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

अतः कृपया उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं /वचनबद्धता प्रमाण–पत्र जो लागू हो को इस कार्यालय में तीन प्रतियों में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे तद्नुसार अनुपालन आख्या प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(अविनाश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

संख्या अ/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
4. उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर एवं क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुख्यालय।

(अविनाश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

Scanned by CamScanner